

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

ब्लॉक-5, द्वितीय से पंचम तल

डॉ. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर

फोन:- 0141-2715565

E-mail ID- smsa.asfe@gmail.com

क्रमांक:- रास्कूशिप/जय/वै.शि./

/CSG दिशा-निर्देश/2019-20/ 5289

दिनांक:- 30/8/19

कम्पोजिट स्कूल ग्रांट (COMPOSITE SCHOOL GRANT) दिशा-निर्देश सत्र 2019-20

समग्र शिक्षा अभियान के अन्तर्गत राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों की सामान्य शैक्षिक, सह-शैक्षिक, भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति एवं पुराने उपकरणों के प्रतिस्थापन तथा विद्यालय स्वच्छता एक्शन प्लान हेतु कम्पोजिट स्कूल ग्रांट दिये जाने का प्रावधान है। छात्र हित में विद्यालय की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इस राशि का उपयोग किया जा सकेगा। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों के गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कार्य को बढ़ावा देने के लिये पाठ्य-सहगामी क्रियाओं का विकास करना एवं विद्यालयों की दैनिक/भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है।

यह अनुदान डाइस डाटा 2017-18 के अनुसार राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों को देय है, जो कि शिक्षा विभाग/पंचायती राज विभाग/केजीबीवी/संस्कृत शिक्षा के विद्यालयों/शिक्षाकर्मी बोर्ड द्वारा संचालित विद्यालयों/समाज कल्याण विभाग के अधीन आते हैं। जिला परियोजना कार्यालय द्वारा प्रत्येक ब्लॉक के विद्यालयों की सूची तथा स्वीकृत सीएसजी राशि का हस्तान्तरण मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय को किया जायेगा। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा ब्लॉक के विद्यालयों की विद्यालय प्रबंधन समिति/विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति के बैंक खाते में राशि हस्तान्तरित की जायेगी। अतः निम्नानुसार सीएसजी राशि को वितरित किया जा कर शत-प्रतिशत लक्ष्य अर्जित करें।

1) वित्तीय प्रावधान :

S.No.	Number of students in School	School Grant
1	1-15	Rs. 12500 (Including atleast Rs. 1250 for Swachhta Action Plan)
2	16-100	Rs. 25000 (Including atleast Rs. 2500 for Swachhta Action Plan)
3	101-250	Rs. 50000 (Including atleast Rs. 5000 for Swachhta Action Plan)
4	251-1000	Rs. 75000 (Including atleast Rs. 7500 for Swachhta Action Plan)
5	Above 1000	Rs. 100000 (Including atleast Rs. 10000 for Swachhta Action Plan)

नोट :- 1) उपरोक्त तालिका के कं.सं. 1 से 5 तक की विस्तृत सूची पृथक से संलग्न है।

2) मर्ज हुए विद्यालय एवं शून्य नामांकन वाले विद्यालयों को यह अनुदान देय नहीं होगा। जिसका ध्यान डीपीसी द्वारा रखा जायेगा।

2) विद्यालय स्तर :-

कम्पोजिट स्कूल ग्रांट की राशि का उपयोग निम्न सामग्री क्रय करने/कार्य में आवश्यकतानुसार किया जा सकता है -

- विद्यालय के अक्रियाशील उपकरणों के प्रतिस्थापन हेतु।
- दरी पट्टी/दरी।
- श्यामपट्ट मरम्मत एवं रंग-रोगन/ ग्रीन बोर्ड/ आदमकद दर्पण/ कार्मिकों का फोटो युक्त विवरण।

- चॉक, डस्टर।
- परीक्षा संबंधी स्टेशनरी।
- पेयजल व्यवस्था, विद्युत व्यय।
- एक दैनिक समाचार पत्र (अनिवार्य)।
- प्रतियोगिताओं का आयोजन/ खेल सामग्री / उपलब्धि प्रमाण-पत्र मुद्रण।
- अग्निशमन यन्त्र के सिलेण्डर में गैस भरवाने हेतु।
- शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम में रैफर किये गये विद्यार्थियों को अस्पताल ले जाने का किराया।
- प्रयोगशाला संबंधी उपकरणों के रखरखाव एवं मरम्मत हेतु।
- इन्टरनेट संबंधी कार्य।
- वार्षिक टूट-फूट, मरम्मत व सौंदर्यन (विद्यालय भवन, शौचालय/मूत्रालय व अन्य व्यवस्थाएं)।
- शिक्षण अधिगम सामग्री में उपयोग
- अन्य उपयोज्य सामग्री यथा: झाड़ू, मटका, बाल्टी, मग आदि।
- छात्र हित में अन्य आवर्ती मदों हेतु।

नोट:- उक्त कार्यों के अलावा अन्य कार्यों में उक्त राशि का उपयोग नहीं किया जावे। अति-आवश्यक होने पर परिषद् की पूर्वानुमति से उक्त राशि में बचत होने पर अन्य कार्यों में उपयोग किया जा सकेगा।

3) विद्यालय स्वच्छता एक्शन प्लान :-

कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट में कम से कम 10 प्रतिशत राशि स्वच्छता एक्शन प्लान के लिए निर्धारित की गई है, जिसका उपयोग निम्न कार्यों हेतु ही किया जा सकेगा:-

- विद्यालय के शौचालय / मूत्रालयों का नियमित उपयोग एवं रख-रखाव।
- शौचालय / मूत्रालयों की साफ-सफाई व सफाई हेतु वांछित सामग्री यथा ब्रश ऐसिड, टॉयलेट क्लीनर आदि क्रय करने के लिए।
- विद्यार्थियों को हाथ धोने के लिए साबुन की व्यवस्था करने के लिए।
- शौचालय / मूत्रालय की माईनर रिपेयर करवाने के लिए।
- शौचालय / मूत्रालय में रनिंग वाटर सुविधा या पानी की टंकी रखवाने के लिए
- बेकार पानी तथा सूखे कचरे के निस्तारण की व्यवस्था हेतु।
- कक्षा-कक्षों एवं विद्यालय परिसर में रखने के लिए कचरा पात्र क्रय/तैयार करने हेतु।
- बालिका शौचालय के साथ डिसपेंसर एवं इन्सीनरेटर रिपेयर के लिए।
- पेयजल स्रोत को रिपेयर कराने के लिए।

4) कार्य प्रक्रिया :

1. सर्वप्रथम एसएमसी अपने विद्यालय की वार्षिक आवश्यकताओं का चिह्नीकरण करें एवं लिखित प्रस्ताव प्राप्त करें।
2. वर्षभर की आवश्यकताओं का वित्तीय अनुमान निर्धारित करें।
3. एसएमसी के 4 सदस्यों की एक क्रय समिति बनेगी जिसमें अध्यक्ष एवं सचिव के अतिरिक्त दो अभिभावक सदस्य होंगे।
4. क्रय की गई सामग्री की गुणवत्ता उच्च स्तर की होनी चाहिए।
5. सामग्री क्रय कर रोकड़ बही, स्टॉक रजिस्टर, बिल वाउचर्स को सुव्यवस्थित संधारित करें।
6. माह फरवरी 2020 तक सीएसजी राशि का उपयोग किया जाकर विद्यालयों द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र ब्लॉक कार्यालय को प्रेषित किया जायेगा। ब्लॉक कार्यालय द्वारा समेकित उपयोगिता प्रमाण-पत्र जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय को प्रेषित किया जायेगा। जिला परियोजना समन्वयक जिले का उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यू.सी.) निर्धारित प्रपत्र में परिषद् कार्यालय को 01 अप्रैल, 2020 तक प्रकोष्ठ की ई-मेल आईडी smsa.asfe@gmail.com पर प्रेषित करेंगे।

4.1) कम्पोजिट स्कूल ग्रांट राशि का निम्न मदों में व्यय नहीं किया जावे-

1. फर्नीचर क्रय हेतु (छात्र/प्राधानाध्यापक कक्ष/स्टाफ रूम फर्नीचर क्रय नहीं किया जाये)।
2. जलपान आदि पर।
3. उत्सव मनाना अथवा उत्सव आयोजन के फोटो खिंचवाना।

5) ध्यान देने योग्य बिन्दु:-

1. कम्पोजिट स्कूल ग्रांट से क्रय की जाने वाली सामग्री पूर्ण पारदर्शिता से RTPP Act & Rule के प्रावधानों के अनुसार क्रय की जावें।
2. सामग्री क्रय करते समय राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर के दिशा निर्देशों की पालना करते हुये विद्यार्थी हित एवं विद्यार्थी आवश्यकता को प्राथमिकता दी जावे।
3. क्रय की गई सामग्री का उचित रखरखाव करते हुये, वर्ष पर्यन्त उपयोग सुनिश्चित किया जाये।
4. विद्यालय अवलोकनकर्ता अधिकारी अवलोकन के दौरान कम्पोजिट स्कूल ग्रांट के सार्थक उपयोग का भी अवलोकन करें एवं प्रतिवेदन में इसका उल्लेख करें।
5. आईसीटी लैब को प्राथमिकता से क्रियाशील बनाना।

6) दायित्व अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय :-

1. राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद से कम्पोजिट स्कूल ग्रांट की प्राप्त राशि को नामांकन अनुसार विद्यालयों को हस्तान्तरित करना।
2. कम्पोजिट स्कूल ग्रांट की राशि का विद्यालय स्तर पर छात्र हित में उपयोग करवाया जाना सुनिश्चित करना।
3. पीईईओ से वित्तीय वर्ष 2019-20 का उपयोगिता प्रमाण-पत्र सीबीईओ के माध्यम से प्राप्त करना।
4. जिले का वित्तीय वर्ष 2019-20 का कम्पोजिट स्कूल ग्रांट का उपयोगिता प्रमाण-पत्र राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद को प्रेषित करना।

7) दायित्व सीबीईओ कार्यालय :-

1. वित्तीय वर्ष 2019-20 में कम्पोजिट स्कूल ग्रांट की राशि का विद्यालय स्तर पर छात्र हित में समस्त राशि का उपयोग करवाया जाना सुनिश्चित करना।
2. विद्यालय स्तर पर राशि के उपयोग की मॉनीटरिंग करना।
3. ब्लॉक के समस्त पीईईओ/शहरी क्षेत्र के विद्यालयों से वित्तीय वर्ष 2019-20 की सम्पूर्ण राशि के उपयोग का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय को प्रेषित करना।

8) दायित्व पीईईओ कार्यालय :-

1. वित्तीय वर्ष 2019-20 की एडीपीसी कार्यालय से प्राप्त कम्पोजिट स्कूल ग्रांट की राशि को अधीनस्थ विद्यालयों के एसएमसी खाते में हस्तान्तरित करना।
2. अधीनस्थ विद्यालयों द्वारा कम्पोजिट स्कूल ग्रांट राशि का दिशा-निर्देशों अनुसार विद्यार्थी हित में उपयोग किया जाना सुनिश्चित करना।
3. वित्तीय वर्ष 2019-20 पीईईओ विद्यालय एवं पीईईओ अधीनस्थ विद्यालयों से कम्पोजिट स्कूल ग्रांट की सम्पूर्ण राशि के उपयोग का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सीबीईओ कार्यालय को प्रेषित करना।

9) दायित्व विद्यालय संस्थाप्रधान :-

1. विद्यालय की एसडीएमसी/एसएमसी से विद्यालय की सुविधाओं के लिए आवश्यकताओं का चिन्हिकरण कर लिखित में प्रस्ताव प्राप्त करना एवं वर्षभर की आवश्यकताओं का वित्तीय अनुमान निर्धारित करना।

2. एसडीएमसी के 4 सदस्यों की क्रय समिति बनाना। इसमें अध्यक्ष एवं सचिव के अतिरिक्त 2 अभिभावक सदस्य हो तथा क्रय की गई सामग्री की गुणवत्ता उच्च स्तर की होना सुनिश्चित करना।
3. सामग्री क्रय कर रोकड बही स्टॉक रजिस्टर, बिल वाउचर को सुव्यवस्थित संधारित करना।
4. वित्तीय वर्ष के अंत में कम्पोजिट स्कूल ग्रांट की समस्त राशि के उपयोग का उपयोगिता प्रमाण-पत्र पीईईओ कार्यालय को प्रेषित करना।
5. शहरी क्षेत्र के समस्त विद्यालय सत्र 2019-20 का उपयोगिता प्रमाण-पत्र (विद्यालय स्तर) की पूर्ति कर सीबीईओ कार्यालय को प्रेषित करेंगे।

10) विशेष :-

1. इस मद में निर्धारित बजट सीमा से अधिक व्यय नहीं किया जाये। निर्धारित सीमा से अधिक व्यय किये जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाकर वसूली की जाएगी।
2. किये गये व्यय का निर्धारित समयावधि में उपयोगिता प्रमाण पत्र दिया जाकर समायोजन सुनिश्चित करवाया जाये। समयावधि में समायोजन हेतु कम्पोनेन्ट प्रभारी उत्तरदायी होंगे।

**कम्पोजिट स्कूल ग्रांट
उपयोगिता प्रमाण-पत्र (विद्यालय स्तर)**

विद्यालय का नाम यू डीएस कोड.....
 कम्पोजिट स्कूल ग्रांट प्राप्त राशि दिनांक
 प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2019-20 में प्राप्त कम्पोजिट स्कूल ग्रांट राशि रु. का उपयोग विद्यालय प्रबन्धन समिति के द्वारा कर लिया है। शेष राशि (यदि कोई हो) रुपये.....का चैक संख्या..... बैंक..... शाखा.....दिनांक द्वारा वापस भिजवाया जा रहा है।

क्र.सं.	माह का नाम	बिल संख्या व दिनांक	फर्म का नाम	नाम सामग्री	मात्रा/ संख्या	दर	राशि (रुपये)	उपयोग का विवरण	भण्डार पंजिका में इन्द्राज		वि. वि.
									पू.सं.	दिनांक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त सामग्री परिषद् द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार शाला प्रबन्धन समिति के प्रस्ताव संख्या दिनांक के अनुरूप क्रय की गई है जिसका अनुमोदन एसएमसी के द्वारा दिनांक द्वारा किया गया। साथ ही उक्त विद्यालय शून्य नामांकन का नहीं है।

हस्ताक्षर

सचिव

विद्यालय प्रबंधन समिति

हस्ताक्षर

अध्यक्ष

विद्यालय प्रबंधन समिति

नोट:- बैंक से प्राप्त ब्याज का आहरण न करें। इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे।



कार्यालय सीआरसी..... ब्लॉक जिला
ब्लॉक कार्यालय जिला

कम्पोजिट स्कूल ग्रांट (ब्लॉक स्तर) उपयोगिता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2019-20 में ब्लॉक जिला
के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, एवं
..... उच्च माध्यमिक विद्यालयों को जारी की गई कम्पोजिट स्कूल ग्रांट का संबंधित संस्था
प्रधान द्वारा परिषद् से जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप उपयोग कर लिया गया है। निर्धारित प्रपत्र में
यू.सी. प्राप्त कर ली गई है, जिसके आधार पर वित्तीय वर्ष 2019-20 का उपयोगिता प्रमाण पत्र
प्रस्तुत है :-

क्र.सं.	विद्यालय का प्रकार प्रावि/उप्रावि/मावि/उमावि	ब्लॉक में विद्यालयों की संख्या	प्राप्त सीएसजी राशि	व्यय सीएसजी राशि	शेष सीएसजी राशि	वि.वि.
1	2	3	5	6	7	8
योग						

कम्पोजिट स्कूल ग्रांट (जिला स्तर) उपयोगिता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2019-20 में जिला को कम्पोजिट स्कूल ग्रांट मद में
प्राप्त राशि रूपये में से कुल प्राथमिक, कुल उच्च प्राथमिक, कुल
..... माध्यमिक एवं कुल उच्च माध्यमिक विद्यालयों को कुल राशि जारी की गई एवं
..... राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर कैंस बुक की पृष्ठ संख्या पर समायोजन किया
जा चुका है। उक्त राशि का व्यय परिषद् से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुरूप ही किया गया है तथा प्राप्त उपयोगिता
प्रमाण पत्र के आधार पर जिले द्वारा एमपीआर में मासिक आधार पर व्यय की प्रविष्टि की जा रही है। दोनों राशियों में
अन्तर होने पर हस्ताक्षरकर्ता जिम्मेदार है।

हस्ताक्षर
सहायक परियोजना समन्वयक/ प्रभारी
.....

हस्ताक्षर
अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक
.....

हस्ताक्षर
सहायक लेखाधिकारी
.....

हस्ताक्षर
जिला परियोजना समन्वयक
.....


Elementary Composite School Grant (CSG) Budget 2019-20

S.N	DISTRICT	ENR 1_15	Fin@0.12 5 (in lacs)	ENR 15_100	Fin@0.25 (in lacs)	ENR 100_250	Fin@0.5 (in lacs)	ENR 250_1 000	Fin@0.75 (in lacs)	Total Fin (in lacs)
1	Ajmer	55	6.88	839	209.75	428	214.00	28	21	451.63
2	Alwar	73	9.13	1419	354.75	553	276.50	38	28.5	668.88
3	Banswara	26	3.25	1956	489.00	464	232.00	64	48	772.25
4	Baran	32	4.00	1052	263.00	184	92.00	7	5.25	364.25
5	Barmar	163	20.38	3106	776.50	830	415.00	36	27	1238.88
6	Bhartpur	33	4.13	835	208.75	308	154.00	21	15.75	382.63
7	Bhilwara	94	11.75	1628	407.00	585	292.50	16	12	723.25
8	Bikaner	153	19.13	1129	282.25	286	143.00	36	27	471.38
9	Bundi	61	7.63	726	181.50	188	94.00	4	3	286.13
10	Chittoregarh	62	7.75	1016	254.00	330	165.00	5	3.75	430.50
11	Churu	71	8.88	529	132.25	292	146.00	23	17.25	304.38
12	Dausa	69	8.63	850	212.50	251	125.50	3	2.25	348.88
13	Dholpur	21	2.63	542	135.50	271	135.50	39	29.25	302.88
14	Dungarpur	31	3.88	1648	412.00	387	193.50	36	27	636.38
15	Ganganagar	211	26.38	1061	265.25	199	99.50	3	2.25	393.38
16	Hanumangarh	72	9.00	433	108.25	222	111.00	10	7.5	235.75
17	Jaipur	264	33.00	1983	495.75	455	227.50	32	24	780.25
18	Jaisalmer	114	14.25	738	184.50	159	79.50	3	2.25	280.50
19	Jalor	42	5.25	1030	257.50	421	210.50	40	30	503.25
20	Jhalawar	76	9.50	972	243.00	315	157.50	9	6.75	416.75
21	Jhunjhunu	181	22.63	771	192.75	82	41.00	5	3.75	260.13
22	Jhodhpur	216	27.00	2134	533.50	494	247.00	29	21.75	829.25
23	Karauli	62	7.75	795	198.75	209	104.50	12	9	320.00
24	Kota	44	5.50	544	136.00	188	94.00	7	5.25	240.75
25	Nagaur	168	21.00	1610	402.50	508	254.00	15	11.25	688.75
26	Pali	66	8.25	851	212.75	402	201.00	28	21	443.00
27	Pratapgarh	30	3.75	1097	274.25	253	126.50	14	10.5	415.00
28	Rajsamand	25	3.13	1020	255.00	347	173.50	8	6	437.63
29	S.Madhampur	33	4.13	560	140.00	174	87.00	2	1.5	232.63
30	Sikar	92	11.50	1043	260.75	202	101.00	10	7.5	380.75
31	Sirohi	20	2.50	510	127.50	210	105.00	19	14.25	249.25
32	Tonk	89	11.13	860	215.00	173	86.50	1	0.75	313.38
33	Udaipur	55	6.88	2720	680.00	685	342.50	70	52.5	1081.88
	Total	2804	350.50	38007	9501.75	11055	5527.50	673	504.75	15884.50



Secondary Composite School Grant (CSG) Budget 2019-20


क्र.सं.	जिला	नामांक न 1 से 15	राशि @0.125	नामांक न 16 से 100	राशि @0.25	नामांक न 101 से 250	राशि @0.5	नामांक न 251 से 1000	राशि @0.75	नामांक न 1001 से अधिक	राशि @1.0	कुल विद्यालयों की संख्या	कुल वित्तीय राशि
1	Ajmer	0	0.00	6	1.50	121	60.50	357	267.75	10	10	494	339.75
2	Alwar	0	0.00	37	9.25	297	148.50	406	304.5	3	3	743	465.25
3	Banswara	0	0.00	1	0.25	49	24.50	363	272.25	8	8	421	305.00
4	Baran	0	0.00	5	1.25	117	58.50	171	128.25	1	1	294	189.00
5	Barmer	0	0.00	4	1.00	112	56.00	476	357	1	1	593	415.00
6	Bhartpur	1	0.125	12	3.00	193	96.50	314	235.5	3	3	523	338.125
7	Bhilwara	0	0.00	5	1.25	161	80.50	372	279	6	6	544	366.75
8	Bikaner	0	0.00	7	1.75	78	39.00	294	220.5	5	5	384	266.25
9	Bundi	0	0.00	2	0.50	91	45.50	169	126.75	2	2	264	174.75
10	Chittaurgarh	1	0.125	6	1.50	183	91.50	205	153.75	2	2	397	248.875
11	Churu	0	0.00	22	5.50	164	82.00	295	221.25	4	4	485	312.75
12	Dausa	0	0.00	6	1.50	131	65.50	220	165	3	3	360	235.00
13	Dholpur	0	0.00	2	0.50	40	20.00	201	150.75	6	6	249	177.25
14	Dungarpur	0	0.00	4	1.00	57	28.50	305	228.75	4	4	370	262.25
15	Ganganagar	0	0.00	19	4.75	206	103.00	225	168.75	1	1	451	277.50
16	Hanumangarh	0	0.00	6	1.50	86	43.00	241	180.75	2	2	335	227.25
17	Jaipur	1	0.125	52	13.00	393	196.50	452	339	17	17	915	565.625
18	Jaisalmer	0	0.00	4	1.00	67	33.50	104	78	1	1	176	113.50
19	Jalor	0	0.00	3	0.75	51	25.50	295	221.25	2	2	351	249.50
20	Jhalawar	0	0.00	5	1.25	84	42.00	225	168.75	6	6	320	218.00
21	Jhunjhunu	0	0.00	49	12.25	298	149.00	147	110.25	2	2	496	273.50
22	Jhodhpur	0	0.00	8	2.00	184	92.00	410	307.5	2	2	604	403.50
23	Karauli	0	0.00	8	2.00	107	53.50	192	144	2	2	309	201.50
24	Kota	0	0.00	6	1.50	128	64.00	166	124.5	3	3	303	193.00
25	Nagaur	0	0.00	14	3.50	300	150.00	375	281.25	1	1	690	435.75
26	Pali	0	0.00	7	1.75	185	92.50	273	204.75	3	3	468	302.00
27	Pratapgarh	0	0.00	0	0.00	24	12.00	162	121.5	0	0	186	133.50
28	Rajsamand	0	0.00	2	0.50	77	38.50	209	156.75	2	2	290	197.75
29	S.madhopur	0	0.00	1	0.25	110	55.00	178	133.5	3	3	292	191.75
30	Sikar	0	0.00	30	7.50	297	148.50	254	190.5	3	3	584	349.50
31	Sirohi	0	0.00	4	1.00	36	18.00	176	132	1	1	217	152.00
32	Tonk	0	0.00	5	1.25	121	60.50	190	142.5	5	5	321	209.25
33	Udaipur	0	0.00	8	2.00	194	97.00	468	351	3	3	673	453.00
Total		3	0.375	350	87.50	4742	2371.00	8890	6667.50	117	117	14102	9243.375


 (डॉ. नरेन्द्र कुमार गुप्ता)
 राज्य परियोजना निदेशक

क्रमांक:- रास्कूलशिप/जय/औ.शि./ /CSG दिशा-निर्देश/2019-20/5289
 प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ हेतु प्रेषित :-

दिनांक : 30/8/19

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, रा.स्कूल.शि.प., जयपुर।
3. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, रा.स्कूल.शि.प., जयपुर।
4. निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को भेजकर निवेदन है कि कृपया उक्त अनुदान के समुचित उपयोग हेतु, संयुक्त निदेशक/सीडीईओ/जि.शि.अ. प्रा. एवं मा./ सीबीईओ /पीईईओ को आवश्यक निर्देश प्रदान करावें।
4. निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक, (प्रथम/द्वितीय), रा.स्कूल.शि.प., जयपुर।
5. नियन्त्रक वित्त, रा.स्कूल.शि.प., जयपुर।
6. समस्त जिला परियोजना समन्वयक, अति० जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा को भेजकर लेख है कि उक्तानुसार समय पर कार्यवाही सम्पन्न कर प्रतिमाह 6 तारीख तक रा.स्कूल.शि.प., जयपुर को प्रगति से निर्धारित मासिक प्रगति प्रपत्र में अवगत करावें।
7. जिला प्रभारी अधिकारी समस्त।
8. रक्षित पत्रावली।


 29/8/19
 अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक